UPSB010025242026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र

पीठासीन-राम सुलीन सिंह, एच.जे.एस. UP1886

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1104/2026

1. मनोज कुमार यादव उम्र 30 वर्ष पुत्र विजय लाल यादव, निवासी मिश्रपुर पुरैना, हनुमानगंज, सुल्तानपुर, रामपुर, हनुमानगंज, सुल्तानपुर, उ०प्र०।
2. शहबाज उम्र 20 वर्ष पुत्र जमशेर, निवासी मिश्रपुर पुरैना, हनुमानगंज, हनुमानगंज सुल्तानपुर उ०प्र०।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

1. द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **मनोज कुमार यादव व शहबाज** के विद्वान अधिवक्ता श्री जगजीवन सिंह एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री ज्ञानेन्द्र शरण राय को सुना तथा केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

2. प्रार्थीगण **मनोज कुमार यादव व शहबाज**, मुकदमा अपराध संख्या-16/2026, अं0 धारा-303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना बभनी, जनपद सोनभद्र के प्रकरण में अभियुक्तगण हैं।

3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में संक्षेप में यह आधार लिया गया है कि उनकी यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष न तो विचाराधीन है और न ही माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निरस्त किया गया है। उनका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना में लेखन त्रुटि के कारण बल न देने पर निरस्त किया गया है। आगे प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों का वर्णन किया गया है। यह कथन किया गया है कि अभियोजन कथानक सरासर गलत एवं बनावटी है। वे शान्तिप्रिय एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। इबरार अहमद चोरी की बैटरी के साथ गिरफ्तार हुआ और पूछताछ में उनको घटना में शामिल होना बताया है। उनके कब्जे से किसी सामान की बरामदगी नहीं हुई है। वे बिल्कुल निर्दोष हैं। उन्हे आशंका है कि स्थानीय पुलिस किसी भी समय उनको संज्ञेय व अजमानतीय अपराध होने के कारण गिरफ्तार कर सकती है, जिससे उनकी अपूर्णनीय क्षति होगी तथा उनकी समाज में प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचेगी। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वितीय

.....2

अग्रिम जमानत से छूटने पर जमानत के शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगे तथा निर्धारित प्रत्येक तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। उक्त आधार पर अभियुक्तगण द्वारा द्वितीय अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

5. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अनुज कुमार पुत्र अशोक कुमार ने सम्बन्धित थाने पर इस आशय की सूचना दिया कि वह ग्राम नधिरा में लगे जीवो के टावर टेक्निशियन का काम देखता है। दिनांक 24.01.2026 को समय 22.15 बजे लगभग नधिरा में लगे जीवो के टावर का जमीन का मालिक के परिवार के सदस्य मान सिंह द्वारा उसके मोबाइल पर सूचना दिया गया कि नधिरा में लगे जीवो के टावर में अज्ञात चोरों द्वारा टावर की बैट्री चोरी की जा रही है। इस सूचना पर वह मौके पर आया तो देखा कि टावर में पूर्व से चार बैट्री में से तीन बैट्री तार से कटी हुई नीचे जमीन पर पड़ी है तथा एक बैट्री जिसका एसआर नम्बर-एचडी 20221011000101649 इतना था, जिसे अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करके अपने साथ लेकर भाग गये तथा दौरान चोरी के वारदात के समय जनता के चिल्लाने से चोरों द्वारा चोरी में प्रयोग की चार पहिया गाड़ी को मौके पर छोड़कर भाग गये और उस टेक्निशियन द्वारा चोरों द्वारा काटी गयी तीन बैट्री पुनः टावर में लगा दिया गया। बैट्री लगाने के बाद सूचना देने आया है। उक्त आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6. सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय अभियोजन पक्ष की तरफ से केस डायरी के प्रासंगिक पर्चे व अन्य अभियोजन प्रपत्रों को प्रस्तुत किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण नामजद अभियुक्त नहीं है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज किया जाना बताया गया है। प्रार्थीगण के विरूद्ध यह अभियोग लगाया गया है कि वे अन्य सह-अभियुक्त के साथ मिलकर घटना के दिनांक, समय व स्थान पर लगे जीवो के टावर में लगे बैट्री को चोरी करना व उनके कब्जे से बरामद होना बताया गया है। अपराध सात वर्ष से कम दण्ड से दण्डनीय है तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किये जाने के संबंध में कोई आख्या प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का इस मामले के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवेचना अभी प्रचलित है। सह-अभियुक्त की अग्रिम जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है।

8. अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना मैं पाता हूॅ कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है। 3

-: <u>आदेश :-</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **मनोज कुमार यादव व शहबाज**, की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या-16/2026, अं0 धारा- 303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना बभनी, जनपद सोनभद्र में प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु0-50,000/-(पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि की दो-दो विश्वसनीय स्थानीय प्रतिभू सम्बंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर उन्हें प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किये जाने की तिथि तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाय-

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रकरण की विवेचना में सहयोग करेगें तथा विवेचक द्वारा आहूत किये जाने पर विवेचक के समक्ष उपस्थित होगें।
2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अभियोजन साक्षियों को किसी प्रकार से न तो डरायेगें न ही धमकायेगें और किसी प्रकार से साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगे।
3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण बिना न्यायालय की अनुमति के भारत देश छोड़कर नहीं जायेंगे।
4. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में उनका अग्रिम जमानत स्वतः निष्प्रभावी समझा जायेगा।

दिनांक-01.07.2026

(राम सुलीन सिंह)
सत्र न्यायाधीश
सोनभद्र